सं. 6, 8, 9, 15, व 18 की जानिब से जवाब प्रा.पत्र
पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जावे। जवाब
प्रा.पत्र की एक प्रति नकल वकील को दिलवाई गई।
पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र 212 आदेश
दिनांक 14.5.2026 को पेश हो।

14/05/26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्तागण उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151
CPC जरिए अधिवक्ता जोर नहीं दिया गया। — 151 CPC Not Press 14.5.26
उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र 212
RTA पर बहस हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी
संख्या 06, 08, 09, 15 व 18 जरिए अधिवक्ता
उपस्थित। जवाब प्रा०पत्र पूर्व से प्रस्तुत किया जा
चुका है। अत: उभयपक्ष अधिवक्तागण के निवेदन
पर बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सुनी गयी।
पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 212 आरटीए
आयंदा दिनांक 19/05/2026 को पेश हो।

19/05/26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया
गया। प्रार्थना पत्र 212 RTA पर निस्तारित होने
वाले बिंदुओं पर विवेचन किया गया। उक्त तीनों
बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध साबित होते है। अत: प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली उज्वल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न
नत्थी किया जावे।